



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06062026-273228  
CG-DL-E-06062026-273228

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 149]  
No. 149]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 4, 2026/ज्येष्ठ 14, 1948  
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 4, 2026/JYAISTHA 14, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2026

सं. 16/2026 -2027

विषय: प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.88 में संशोधन के संबंध में।

फा. सं. 01/89/180/07/एएम-26/पीसी-2(ए)/ई-46336.— समय समय पर यथा संशोधित, विदेश व्यापार नीति 2023 (एफटीपी) के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2023 के पैरा 2.88 के प्रावधानों में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

(क) एचबीपी के पैरा 2.88 (क) के अंतर्गत, मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) की मौजूदा सूची के बाद क्रम संख्या xvi के साथ एक नई प्रविष्टि निम्नानुसार जोड़ी गई है:

"xvi. भारत-ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (भारत-ओमान सीईपीए)"

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा उद्गम प्रमाण पत्र जारी करने की प्रणाली के माध्यम से निर्यातकों को भारत-ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) के तहत उद्गम प्रमाण पत्र (सीओओ) प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी) 2023 के पैरा 2.88 (क) में संशोधन किया गया है।

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

**(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE )**

**PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 2nd June, 2026

**No. 16 / 2026-27**

**Subject: Amendments in Para 2.88 of Handbook of Procedures-reg.**

**F. No. 01/89/180/07/AM-26/PC-2(A) /e-46336.**— In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2023, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the provisions of Para 2.88 of the Handbook of Procedures 2023:

(A) Under Para 2.88 (a) of HBP, a new entry with serial no. xvi is inserted after the existing list of Free Trade Agreements (FTAs) as under:

"xvi. India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement (India-Oman CEPA)"

**Effect of this Public Notice:** Para 2.88(a) of the Handbook of Procedures (HBP) 2023 has been amended to facilitate exporters to obtain the Certificate of Origin (CoO) under the India–Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) through the system of issuance of Certificates of Origin by the authorised agencies.

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex-Officio Addl. Secy.